न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, झुंझुनूं (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी :– श्री शैलेश खैरवा (आर. ए. एस.), उपखण्ड अधिकारी, झुंझुनूं

श्री इस्माईल पुत्र श्री रज्जाक जाति कसाई मुसलमान निवासी वार्ड नं. 16, पुराना डाक बंगला रोड, तहसील व जिला झुंझुनूं

––वादी

बनाम

1. अन्जू देवी पत्नी सुनिल कुमार जाति महाजन निवासी झुंझुनूं
2. प्रदीप पुत्र रामसिंह जाति जाट निवासी भूरासर का बास तहसील व जिला झुंझुनूं
3. विनोद कुमार पुत्र रिछपाल जाति महाजन निवासी झुंझुनूं
4. सत्यनारायण पुत्र हनुमानाराम जाति जाट निवासी भूरासर का बास तहसील चिड़ावा जिला झुंझुनूं
5. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार झुंझुनूं

––प्रतिवादी

उपस्थित अधिवक्ता :–

1. श्री इकराक अली – वादी की ओर से
2. श्रीमती किरण बियाला प्र0 वा0 संख्या 4/1 लगायत 4/3 की ओर से
3. श्री राजेश कुमार सुण्डा प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से
4. श्री श्रवण कुमार सैनी, जी. ए. सरकार की ओर से

दिनांक : 28.09.2022

दावा बाबत घोषणार्थ विभाजन व स्थायी निषेधाज्ञा

वाद के संक्षेप में तथ्य निम्न प्रकार से हैं कि वाद वादीगण दिनांक 16.03.2022 को प्राथमिक रूप से स्वीकार किया जाकर प्राथमिक डिक्री किया जाकर राजस्व ग्राम खिदरसर तहसील झुंझुनूं के हाल भूमि खसरा नं. 751 रकबा 2.52 है0 कृषि भूमि बाबत तहसीलदार झुंझुनूं 500 रू मौका फीस पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया गया कि वह वादी के हक हिस्सा 7/12 व प्रतिवादीगण 1 लगायत 4 हक हिस्सा वादी सीमा तक दोनों पक्षों की मौजूदगी में राजस्थान काश्तकारी अधिनिम 1955 के नियम 18 से 21 तथा राजस्व मण्डल द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 05.09.2020 के अनुसार निर्धारित प्रारूप में विभाजन प्रस्ताव 7 दिवस में इस न्यायालय में पेश करें। तहसीलदार झुंझुनूं ने अपने पत्र क्रमांक राजस्व/2022/591 दिनांक 23.06.2022 के द्वारा विभाजन प्रस्ताव तैयार कर इस न्यायालय में पेश किये। प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का

उपखण्ड अधिकारी
झुंझुनूं (राज.)

अवलोकन किया जाकर बहस वकील पक्षकारान सुनी गई। उभय पक्षकरान व अधिवक्तागण नें अन्तिम डिक्री जारी करनें में अपनी सहमति जाहिर की। वाद अवलोकनार्थ व बगौर मनन बहस विभाजन प्रस्ताव न्यायालय के प्राथमिक निर्णय व डिक्री के अनुसार होना जाहिर है। उक्त विवेचन के आधार पर वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अंतिम रूप से स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाना उचित एवं न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः

—: निर्णय :—

वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाकर अंतिम रूप से डिक्री किये जाने का निर्णय लिया जाता है। विभाजन प्रस्ताव निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करें। मुताबिक निर्णय राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किये जाने हेतु तहसीलदार झुंझुनूं को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 28.9.22 को खुले इजलास सुनाया गया।

(शैलेश स्वैरवाल)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी, झुंझुनूं